RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

प्राचीन भारतीय संस्थात्मक संरचना

डॉ0 आशुतोष कुमार मिश्रा

सहायक प्राध्यापक, सूरज ज्ञान महाविद्यालय कोंच (जालौन)

सारांश

प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में भारत में लोकतंत्र की प्राचनीता, जीवंतता एवं विकास की अद्वितीय झलक प्रदान करने का अनुपम साक्षी आज भी हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत होता है। वस्तुतः यह भारत के लिये बहुत ही गौरव की बात है कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत आज हम सभी को उस ओर इंगित करती है कि भारत भी अपने प्राचीन काल से लेकर अद्यतन लोकतंत्रीय संस्थाओं का ध्वज वाहक रहा है।

प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास अपने पृष्ठों में लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संस्थाओं के उद्भव एवं विकास की अमिट स्याही समेटे हुये है। प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का श्री गणेश आर्यो के भारत आगमन के सोलह सौ से लेकर चौदह सौ ईसा पूर्व तक मानते है। यह समय भारत में आर्यो के समाज का बताया गया है। शनैः-शैनः आर्यो का समाज धीरि-धीरि संगठित वर्गो के रूप में विकसित होने लगा। बाद में आर्यो की जनसंख्या बढ़ी और वे गंगा तथा जमुना के मैदान में फैल गये। इसका परिणाम यह रहा कि राज्यों का आकार बड़ा हो गया।

राज्यों के आकार परिवर्तन की स्थिति में लोकतंत्रीय संस्थाओं का आरम्भ हुआ और राजाओं ने लोकतंत्रीय पद्धति को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर तदनुरूप अपने राज्य को संचालित करना आरम्भ कर दिया।

प्राचीन भारतीय शासन पद्धति में लोकतंत्रीय लक्षणों का बीजांकुरण करने वाली इन लोकतंत्रीय संस्थाओं ने भी अपनी क्रमिक विकास की गति को प्राप्त किया और अपने उद्भव काल से शनैः-शनैः विकास को प्राप्त कर प्राचीन भारत में लोकतंत्रीय शासन पद्धति की नई इबारत लिख डाली।

प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वर्णमयी पृष्ठों को पलटने पर इतिहास के विविध कालखण्ड प्राप्त होते हैं। इन कालखण्डों का श्री गणेश इतिहास की ऐतिहासिक प्रमाणिकता के आधार पर वैदिककाल से माना जाता है। वैदिक काल को दो भागों में विभक्त माना जाता है। प्रथम ऋग्वैदिक काल और द्वितीय उत्तर वैदिककाल इसके उपरान्त रामायण काल, महाभारत काल, बौद्ध-जैन धर्म का काल, पाणिनी काल, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्रकाल, मनुस्मृति काल शुक्रनीतिसार काल एवं कामंदकीय नीतिसार काल ऐतिहासिक प्रमाणिकता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र के अन्तर्गत हम प्राचीन भारत के विविध कालखण्डों में प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं यथा विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं बहुमत आधारित शासन पद्धति, मंत्री परिषदीय शासन पद्धति, निर्वाचन पद्धति पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन राजनीतिक दलीय पद्धति, शासन पद्धति नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, अर्न्तराज्यीय सम्बन्ध एवं लोक प्रशासन का अध्ययन करने का सर्वोत्कृष्ट प्रयास करेगें।

Article Publication

Published Online - November 2025

Corresponding Author

डॉ0 आशुतोष कुमार मिश्रा

सहायक प्राध्यापक, सूरज ज्ञान महाविद्यालय कोंच (जालौन)

Email: ashutoshm578@gmail.com

© 2025 - published by Vidhina

This is an open access article under the CC BY-NC 4.0

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

(क) वैदिक कालखण्ड

(1500-600 ई0पू0)

विश्व की संस्कृतियों में वैदिक सभ्यता या वैदिक युग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस संस्कृति का विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उपलब्ध साहित्य एवं प्रमाणों से यह प्रमाणित हो चुका है कि विश्व के अन्य राष्ट्र जब अज्ञानांधकार में डूबे हुये थे। उस समय वैदिक आर्य विविध कला कौशलों में निष्णात थे।

वैदिक काल में प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास को जानने के क्रम में हम सर्वप्रथम ''विधायिका'' रूपी लोकतंत्रीय संस्था के स्वरूप एवं विकास को जानने का प्रयास करेगें।

वैदिकाल में विधायिका के रूप में प्रमाणित साहित्य के आधार पर हमें 03 संस्थायें ज्ञात होती है। जिन्हें विदथ सभा और समिति के नाम से जाना जाता है। जिनमें विदथ सबसे प्राचनीतम विधामी संस्था के रूप में स्वीकार की गई है। प्राचीन भारतीय संस्थाओं के क्रम में विधायिका के उपरान्त हम वैदिककालीन कार्यपालिका के विकास एवं स्वरूप् से परिचित होगें। प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पृष्ठों को पलटने पर यह ज्ञात होता है कि शासन सम्बन्धी समस्त प्रशासकीय कार्य राजा अपने राजकर्ता समूह के लोगों से विचार विमर्श करके ही सम्पादित किया करता था। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में कार्यपालिका संस्था मंत्री परिषद को तत्समय रत्नी कहा गया था, और इसकी संस्था राजपरिषद कहलाती थी।

प्राचीन भारतीय संस्थाओं में वैदिक कालीन कार्यपालिका के उपरान्त न्याय पालिका का स्वरूप देखने का प्रयास किया जायेगा। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था में न्यायपालिका रूपी लोकतंत्रीय संस्था को हम प्राचीन सार्वजनिक संस्था सभा के रूप् में ग्राह्यय कर सकते है। वह सभा राष्ट्रीय न्यायालय कार्य करती थी। पारस्कर गृहसूत्र में सभा को ''आपत्ति' और घोरता कहा गया है, यह अपराधियों के लिये होती थी। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में कुछ पद्धतियां भी प्रचलन में थी, जिनमें बहुमत आधारित शासन पद्धति प्रमुख थी। इस पद्धति में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया विधायिका में ही सम्पन्न होती थी। विधायी संस्थायें किसी विनिश्चय पर पहुँचने के लिये मतैव्य के पक्ष में रहती थी। मतैव्य के अभाव में बहुमत आधारित निर्णय निर्माण प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का अंग था। इसके उपरान्त वैदिक काल में उत्तरदायी शासन पद्धति का भी परिशीलन किया जाना आवश्यक है। वैदिक काल में वर्णन आता है कि राजा का वरण/निर्वाचन तत्समयी प्रचलित विधायिका संस्था के माध्यम से होता था तथा राजा उस विधायिका संस्था के सभी विनिश्चयों को सहृदय आत्मसात करता था व उसके प्रति उŸारदायी होता था। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन पद्धति में हम ग्राम शासन पद्धति का अध्ययन करेगें। इस पद्धति में गांव का मुखिया ग्रामणी कहा जाता था और वह राजा के वरण हेतु समिति नामक लोकतंत्रीय संस्था में गांव का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलीय व्यवस्था, अन्तराज्यीय सम्बन्ध, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, निर्वाचन पद्धति तत्समय प्रचलित थी।

(ख) रामायण काल

(हिन्दू काल गणना के अनुसार त्रेतायुग

प्राचीन भारतीय संस्थाओं के विकास क्रम में वैदिक युग के उपरान्त ऐतिहासिक कालखण्ड की दृष्टि से रामायणकाल को प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। रामायणकाल में सर्वप्रथम विधायिका रूपी लोकतंत्रीय संस्था का विकास एवं स्वरूप् ज्ञात करने का प्रयास प्राचीन भारतीय ग्रन्थों, पुस्तकों के माध्यम से करेगें।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

रामायणकालीन युग में विधायिका के रूप में ''परिषद'' नामक संस्था को विभिन्न विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया है। बाल्मीकि कृत रामायण में प्रसंग आता है कि राम के राज्याभिषेक के समय महाराज दशरथ ने परिषद के समक्ष राम के राज्याभिषेक की इच्छा प्रकट की थी और परिषद का अनुमोदन उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु चाहा था। रामायण्काल में डॉ0 के.पी. जायसवाल भी विधायी संस्था के रूप में ''जनपद परिषद'' या ''जनपद सभा'' का उल्लेख करते है।

रामायणकालीन विधायिका संस्था के उपरान्त अब कार्यपालिका संस्था का अध्ययन समीचीन होगा। रामायण कालीन कार्यपालिका संस्था में विभिन्न विद्वान/ धर्मग्रन्थ ''सचिव परिषद'' आमात्य परिषद या राजकर्ता संस्था को स्वीकार करते हैं। राजा, सचिव परिषद या आमात्य पषिद की सलाह पर ही कार्य करता था। ऐसा ही प्रसंग रामवनगमन में चित्रकूट में आता है। जब राजा जनक उपस्थित मंत्री समूह से उनका अभिमत जानने हेतु पूंछते है कि

''नृप बूझे बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू।।

उपरोक्त प्रसंग निश्चित रूप से प्राचीन भारत के रामायण काल में कार्यपालिका संस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते है। रामायणकालीन कार्यपालिका संस्था के उपरान्त तत्समयी न्यायिक संस्था के रूप में राज्यसभा नामक संस्था का वर्णन विभिन्न धर्मग्रन्थों/विद्वानों के द्वारा प्राप्त होता है। यह संस्था वैदिक कालीन संस्था का विकसित/परावर्तित रूप था।

रामायणकाल में उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त उŸारदायी शासन पद्धति का भी उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है। वनगमन के समय आर्यसुमंत को विदा करते हुये प्रभू राम भरत के लिये संदेश भेजते है। तुलसीदास जी लिखते है-

''कहब संदेसु भरत के आए। नीति न तजिअ राजपहु पाएँ।।

(ग) महाभारत काल

(600 - 200 ई.पू.)

प्राचीन भारतीय संस्थाओं के अध्ययन क्रम में रामायण के उपरान्त महाभारत कालीन प्राचीन भारतीय संस्थाओं के विकास एवं स्वरूप् का अध्ययन प्रासांगिक होगा। महाभारत काल हिन्दू मान्यता के अनुसार द्वापरयुग के अंतिम परार्ध में स्वीकार किया जाता है। प्रमाणिकता 600-200 ई.पू. स्वीकार की जाती है। महाभारत कालीन प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्रम में सर्वप्रथम विधायिका संस्था को स्वीकार किया जाता है।

वैदिक कालीन सभा/समिति रामायणकालीन परिषद/जनपद परिषद जैसी विधायी संस्था महाभारत काल में भी स्वीकार की जाती है। महाभारत का सभा पर्व एवं शांति पूर्व विधायी संस्था के विधमान होने की प्रमाणिकता अपने विभिन्न श्लोकों के द्वारा सिद्ध करते है। महाभारत काल में विधायिका संस्था के रूप में पौर जनपद या राष्ट्रसभा को स्वीकार किया जाता है। शांतिपर्व के श्लोक के अनुसार-

तस्मै मंत्र प्रयोक्तव्यों दण्माधित्सता नृप।

पौर जमपदा यश्मिविनवश्वासं धर्मतो गता।।

महाभारत कालीन विधायी संस्था के उपरान्त अब कार्यपालिका संस्था के विवेचन में ''मंत्री परिषद'' नामक संस्था स्वीकार की जाती है। यह संस्था राजकाज में राजा को सहायता प्रदान करती थी एवं जनमत के प्रति उŸारदायी रहती थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय की

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

मंत्रीमण्डल (कैबीनेट) जैसी कार्यपालिका संस्था भी महाभारत काल में स्वीकार की जाती है। जिसे ''अंतरंग सभा'' कहा जाता था। अंतरंग सभा के सदस्यों को मंत्रगृह या मंत्रघर कहा जाता था। ये मंत्रगृह या मंत्रघर की संख्या-03 या 05 होती थी।

महाभारत काल में न्यायिक संस्था के रूप में जिस संस्था को स्वीकार किया जाता है। उसे राज्यसभा के रूप में जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता राजा द्वारा की जाती थी। इसमें मंत्रीपरिषद के सदस्य भी शामिल होते थे। महाभारत काल में उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त कुछ लोकतंत्रीय पद्धतियां भी प्रचलन में थी, जिनें ग्राम शासन पद्धति प्रमुख थी। ग्राम शासन पद्धति में अधिपति, ग्रामिक, दशिक, विशाधिप, शतपाल, और सहस्त्रपति जैसे पदाधिकारी लोकतंत्रीय पद्धति से ग्राम शासन पद्धति को संचालित करते थे।

(घ) बौद्ध युग

(ई0पू0 500)

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का अवतरण माँ भारती की पावन भूमि पर लगभग 500 ई.पू. हुआ। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय राज्यों में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अस्तित्व में थी। बौद्धयुग में लोकतंत्रीय लक्षणों की ओर इंगित करते हुये डॉ0 के.पी. जायसवाल जी लिखते है। ''महात्मा बुद्ध का जन्म ऐसे लोगों में हुआ था, जो प्रजातंत्र का भोग करते थे।''

बौद्धयुगीन विधायिका संस्था के रूप में विभिन्न गणराज्यों में इस संस्था को भिन्न-भिन्न नामों से जाना जाता था। शाक्य गणराज्य में इसे ''परिषद'' नाम प्रदान किया गया। इसे ''शाक्य परिषद'' भी कहा जाता था। जिसमें 500 प्रतिनिधि भाग लेते थे। लिच्छवी गणराज्य में विधायी संस्था राजसभा के रूप में प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध द्वारा गठित ''भिक्षु संघ'' भी एक आदर्श लोकतंत्रीय बुद्धयुगीन विधायी संस्था थी। इन विधायी संस्थाओं में प्रायः सभी विषयों पर चर्या, बहस होती थी और मतैक्य के अभाव में मतदान से भी प्रस्ताव पारित होते थे।

बुद्धयुगीन विधायिका संस्था के उपरान्त कार्यपालिका संस्था के रूप में बुद्ध युग में ''आभात्य परिषद'' नामक संस्था अस्तित्व में थी, जो राजा को राज्य संचालन में सहायता प्रदान करती थी।

बौद्धकालीन कार्यपालिका संस्था के उपरान्त न्यायिक संस्था के रूप में तत्समय न्यायालय कहा जाता था। और न्यायाधीशों को महामात्र कहा जाता था। न्यायालय भी ऊपरी न्यायालय और प्रारम्भिक न्यायालय के रूप में विभक्त थे। वाद सर्वप्रथम प्रारम्भिक न्यायालय में दाखिल होता था, जिसकी अपील ऊपरी या सर्वप्रधान न्यायालय में होती थी। सर्वप्रधान न्यायालय के न्यायाधीश को सूत्रधार कहा जाता था।

(ड़) कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र युग

(ई0पू0 325-300)

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र का रचनाकाल विविध स्त्रोतों से ई0पू0 325-300 स्वीकार किया जाता है। अर्थशास्त्र में वर्णित विधायी संस्था के रूप में पौर जनपद सभा का उल्लेख प्राप्त होता है। उक्त पौर जनपद सभा में सभी विनिश्चयों पर चर्चा, वाद-विवाद होता था और मतैक्य/मत के उपरान्त ही संकल्प पारित होता था।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित विधायिका सभा के उपरान्त कार्यपालिका रूपी संस्था का वर्णन प्रासांगिक होगा। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कार्यपालिका संस्था का नाम ''परिषद'' के रूप में निरूपित किया है। कौटिल्य का मतह ै कि राजा को सदैव परिषद के साथ मंत्रणा करते रहना चाहिये, कठिन समय पर तो करनी ही चाहिये। अर्थशास्त्र में वर्णित श्लोक के अनुसार-

''आत्र्यायके कार्ये मंत्रिक ामंत्री परिषदं ब्रूयात्''

कौटिल्य अर्थशास्त्र परिषद के साथ ही साथ एक लघु मंत्री परिषद के अस्तित्व की भी बात करता था। जिसे वह ''अंतरंग सभा'' का नाम प्रदान करता है। इसके 03 या 04 सदस्य होते थे।

अर्थशास्त्र में वर्णित कार्यपालिका संस्था के अध्ययन उपरान्त अब इसी ग्रन्थ में वर्णित न्यायपालिका संस्था के अध्ययनक्रम में व्यवहार न्यायालय एवं कंटकशोधन न्यायालय का वर्णन प्राप्त होता है। व्यवहार न्यायालय में सम्पत्ति/व्यवहार वाद निर्णीत होते थे तथा कंटकशोधन न्यायालय में फौजदारी वाद सुने जाते थे। अर्थशास्त्र में वर्णित न्यायिक प्रणाली में आधुनिक न्यायप्रणाली के तथ्य जिरह, साक्षी आदि के भी प्रमाण प्राप्त होते है।

(च) मनुस्मृति

(चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व)

प्राचीन भारत में वर्णित संस्थाओं का विशद वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रन्थ ''मनुस्मृति'' में वर्णित है। मनुस्मृति को भारतीय आचार संहिता का विश्वकोष स्वीकार किया जाता है। इसमें श्रृष्टि की उत्पŸिा, संस्कार नित्य और नैमित्रिक कर्म, आश्रमधर्म, वर्णधर्म, राजधर्म आदि विषयों का वृहत एवं विकसित वर्णन हमें प्राप्त होता है। मनुकृत मनुस्मृति में वर्णित प्राचीन भारतीय लोकतांत्रिक संस्था विधायिका के अध्ययन क्रम में यह स्वीकार किया जाता है कि प्राचीन भारतीय महाग्रन्थ मनुस्मृति में शासन सŸाा के विधायी कार्यो को संचालित करने के लिये जिस विधायी संस्था का उल्लेख प्राप्त होता है, उसे ''राज्यसभा' या सभा कहा गया है। राज्यसभा या सभा मनुस्मृति काल में प्रमुख विधायी संस्था के रूप में स्वीकार की गयी है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में कुल जाति, श्रेणी नामक जनता की संघीय संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। डॉ0 के.पी. जायसवाल ने अपने निष्कर्ष के आधार पर ''जानपद' नामक विधायी संस्था विद्यमान थी। उपर्युक्त आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि प्राचीन भारतीय महाग्रन्थ मनुस्मृति में विधायिका संस्था के रूप में राज्यसभा, कुल, जाति, श्रेणी और जनपद जैसी संस्थायें विद्यमान थी।

विधायी संस्था के विवेचन के उपरानत अब मनुस्मृति में वर्णित कार्यपालिका संस्था के विवेचन क्रम में हम आमात्य या सचिव परिषद संस्था को दृष्टव्य कर सकते है, डॉ0 अल्टेकर के अनुसार ''मनु का कथन है कि सुकर कार्यभी एक आदमी के अकेले होने की वजह से दुष्कर हो जाते है, फिर राज्य से महान कार्य को बिना मंत्रियों की सहायता से चलाना कैसे सम्भव है। मनुस्मृति के श्लोक के अनुसार-

''अपि यत्सुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम्।

विशेषतोऽ सहायेन किं तु राज्य महोदयम्।।

इसी क्रम में मनुस्मृति में वर्णित न्यायिक संस्था के अध्ययनक्रम में ''न्यायालय'' को न्याय प्रदान करने वाली संस्था के रूप् में स्वीकार किया गया है। न्यायालय में राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था। तथा राजा के लिये यह निर्देश है कि वह राज्य में न्याय प्रदान कर धर्म की स्थापना कर धर्मध्वज रक्षक बने।

RESEARCH ARTICLE

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि प्राचीन भारत में विद्यमान लोकतंत्रीय संस्थायें निश्चित रूप से आधुनिक भारत की स्थापित लोकतंत्रीय संस्थाओं की सुदृढ़ आधारशिला है। एवं इसी आधार शिला पर प्रतिष्ठापित होकर भारत की लोकतंत्रीय संस्थायें अपने कृमिक विकास को प्राप्त कर आज भारत को सबसे बड़े एवं प्राचीन लोकतंत्र युक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किये हुये है। भारत में लोकतंत्र की आधारशिला निश्चित रूप से प्राचीन भारत के साहित्य/इतिहास/धर्मग्रन्थों/जातक कथाओं में वर्णित उपरोक्त लोकतंत्रीय संस्थायें एवं लोकतंत्रीय पद्धतियां ही है एवं इन्हीं प्राचीन भारतीय लोकतंत्रीय संस्थाओं एवं पद्धतियों का क्रमिक विकास वर्तमान भारत की लोकतंत्रीय संस्थाओं एवं पद्धतियों को अपने वर्तमान स्वरूप में प्रतिष्ठापित कराने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. इकबाल डॉ नारायण ''भारतीय राजनीतिक विचार'' ग्रन्थ विकास जयपुर, 2001
2. शर्मा डॉ. हरिश्चन्द्र ''प्राचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनैतिक विचार एवं संस्थायें'' कॉलेज बुक डिपो नई दिल्ली, 1969
3. शरण डॉ. परमात्मा ''प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें'' मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ, 1979
4. डॉ. श्रीवास्तव एवं जोशी ''प्राचीन भारतीय राजनतिक चिन्तन एवं संस्थायें'', कृष्णा प्रकाशन मंदिर मेरठ, 1984
5. सिन्हा डॉ. विनोद एवं सिन्हा रेखा ''प्राचीन भारतीय इतिहास एवं राजनीतिक चिन्तन'' राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 1989
6. रस्तोगी डॉ. पी. ''प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन एवं संस्थाये'' सुशील प्रकाशन मेरठ, 1986
7. बसु डॉ. दुर्गादास ''भारत का संविधान'' 10वां संस्करण स्मगपग छमगपे ळनतहंवदए 2013
8. शर्मा डॉ. रामशरण ''प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें'' राककमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2017
9. जायसवाल काशीप्रसाद ''हिन्दू राज्यतंत्र'' विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2016
10. गोपाल डॉ. लल्लनजी ''प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा'' विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 1999
11. अल्टेकर डॉ. ए.एस. ''प्राचीन भारतीय शासन पद्धति'' विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2013
12. लक्ष्मीकान्त एम. ''भारत की राज्य व्यवस्था'' एम.सी.ग्रा हिलएज. प्राई. लि. चेन्नई, 2018
13. पाण्डेय डॉ. जय नारायण ''भारत का संविधान'' सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी इलाहाबाद, 1971
14. श्रीवास्तव के.सी. ''प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति'' यूनाईटेड बुक डिपो इलाहाबाद, 2007
15. शर्मा हरिश्चन्द्र ''प्राचीन भारतीय राजनैतिक संस्थायें'' कॉलेज बुक डिपो जयपुर, 1996
16. अल्टेकर डॉ. ए.एस. ''प्राचीन भारत में राज्य और सरकार'' मोतीलाल बनारसीदास पटना, 1935
17. शर्मा जे.पी. ''प्राचीन भारत मंे गणतन्त्र'' ग्रन्थ विकास जयपुर, 1996

विधिना | Vidhina

ISSN: (Online): 3049-3986

Publishing Today, Inspiring Tomorrow

Published Online | Special Issue. | Nov.2025 | pp.59-65

Quarterly, Multilingual, Multidisciplinary, Peer-Reviewed E-Research Journal

18. प्रसाद मणिशंकर ''कॉटिल्य के राजनैतिक एवं सामाजिक विचार'' भारतीय साहित्य संग्रह, 1998

19. चौधरी रामकृष्ण ''प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास'' भारती भवन पटना, 1970

20. टण्डन किरण ''प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक'' ईस्टर्न बुक लिंकर्स दिल्ली, 1988